शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र/राशिके/पापु/शै.गु./2020/2354 **भोपाल, दिनांक** 9/6/2020

अत्यावश्यक

प्रति,

कलेक्टर,
जिला – समस्त (म.प्र.)

विषय :– 'नेशनल लेवल रीडिंग डे' दिनांक 19 जून के आयोजन के संबंध में।
सन्दर्भ :– भारत सरकार का अर्द्ध शासकीय पत्र क्र/P-11057/17/2018-HRD दिनांक 27 मई 2020।

भारत सरकार के निर्देश के अनुक्रम में दिनांक 19 जून को नेशनल लेवल रीडिंग डे एवं आगामी एक सप्ताह तक रीड़िंग सप्ताह आयोजित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

जीवन में सफलता पाने हेतु शिक्षा आवश्यक है एवं इसकी नींव स्कूली शिक्षा मानी जाती है। स्कूली शिक्षा से आशय मात्र पुस्तक आधारित ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है अपितु बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयास भी किया जाना आवश्यक है। भाषा ज्ञान बच्चों में न केवल आधार भूत बौद्धिक कौशल का विकास करती है बल्कि यह अन्य विषयों की समझ एवं रूचि विकास में भी सहायक है। बच्चों में भाषा कौशल उन्नयन, पाठ्यपुस्तकों के साथ–साथ अन्य पुस्तकों के पढ़ने एवं समझने की रूचि विकसित करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर **नेशनल लेवल रीडिंग डे' दिनांक 19 जून 2020** को किया जाना है।

नेशनल लेवल रीडिंग डे' दिनांक 19 जून 2020 के अन्तर्गत कोविड–19 के प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 19 जून को प्रदेश के समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में लॉकडाउन लागू रहेगा। ऐसी स्थिति में उक्त आयोजन का स्वरूप प्रदेश के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में ऐसा रखा जाना है कि बच्चे घर पर रहते हुए रीडिंग डे पर कोविड–19 हेतु प्रसारित दिशा–निर्देशों के अनुसार सुरक्षित रहते हुए गतिविधियॉ कर सकें।

नेशनल लेवल रीडिंग डे' पर बच्चों को पढ़ने की आदत की शपथ दिलाना, कहानी कहना, कविता का सस्वर पाठ, प्रश्नोत्तरी, लोककला, चित्रकला आदि कार्य कराया जा सकता है। उक्त आयोजन के सन्दर्भ मे दिनांक 19 जून 2020 को रेडियो पर कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसका स्वरूप निम्नानुसार रखा गया है –

1. रेडियो के माध्यम से प्रातः 11 बजे प्रदेश के बच्चों को रीडिंग शपथ दिलाई जाएगी, अतः जिन बच्चों के घर पर रेडियो है उन्हें दिनांक 19 जून को प्रातः 11:00 बजे रेडियो के माध्यम से शपथ लेगें। यदि पड़ोस के किसी बच्चे के पास रेडियो की सुविधा न हो तो जिस बच्चे के घर पर रेडियो उपलब्ध है वहॉ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शपथ लेगें।
2. कार्यक्रम उपरान्त बच्चों को शिक्षक के माध्यम से निर्देश प्रदान किए जाने होगें कि वह अपनी पिछली कक्षा (सत्र 2019–20 में वह जिस कक्षा में अध्ययनरत थे) की किसी एक कहानी को उनकी हिन्दी भाषा की पाठ्यपुस्तक भाषा–भारती से पढ़कर उसे समझने का प्रयास करें।
3. उक्त हिन्दी पाठ्यपुस्तकों की कक्षावार कहानियों का चयन राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा किया गया है जिसे परिशिष्ट–1 पर संलग्न किया गया है। इन कहानियों को व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा जाएगा। कहानियों की जानकारी रेडियो पर प्रसारण कर भी बच्चों को अवगत कराया जाएगा।
4. इन चयनित कहानियों के आधार पर राज्य द्वारा एक क्विज़ आयोजित की जाएगी, जिसे बच्चों को उनके व्हाट्सएप ग्रुप नम्बर पर भेजा जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर ही एक गूगलशीट की लिंक प्राप्त होगी जिसमें बच्चे द्वारा कहानी से संबंधित प्रश्न के उत्तर को देना होगा। उक्त कार्य में शिक्षक साथी भी बच्चों की सहायता कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास एंड्राइड फोन नहीं है उनके लिए रेडियो पर ही क्विज प्रसारित की जाएगी। बच्चों द्वारा अपने उत्तर जिले स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक को पोस्टकार्ड

के माध्यम से अथवा अपनी शाला के शिक्षकों को लिखित उत्तर प्रदाय कर सकते हैं। शाला के शिक्षक द्वारा जनशिक्षक के माध्यम से प्राप्त उत्तरों को विकासखण्ड को उपलब्ध कराया जाएगा जिसे विकासखण्ड द्वारा जिले को उक्त उत्तर उपलब्ध कराए जाएँगें।

5. बच्चों द्वारा पढ़ी गई कहानी के उत्तर दिनांक 01 जुलाई 2020 तक प्रेषित किए जा सकते हैं।
6. बच्चों द्वारा पढ़ी गई कहानी के आधार पर कहानी से मिलती–जुलती कोई लोककथा, या कहानी के आधार पर लोककला से संबंधित कोई चित्र या कहानी को कविता के रूप में तैयार कर भी राज्य शिक्षा केन्द्र के पाठ्यक्रम कक्ष को भेज सकते हैं। बच्चे द्वारा भेजी गई रचना को राज्य की पत्रिका 'गुल्लक' में प्रकाशित किया जाएगा, जिसकी एक प्रति बच्चे को व्यक्तिगत रूप से भी उपलब्ध कराई जाएगी।
7. क्विज के सही उत्तर प्राप्त होने पर जिला स्तर से प्रत्येक बच्चे को प्रमाण–पत्र प्रदाय किए जाएँ।
8. 19 जून से प्रारंभ करते हुए सम्पूर्ण सप्ताह में रीडिंग सप्ताह मनाने हेतु बच्चों को प्रेरित किया जाए। जिसके अन्तर्गत कोविड–19 के दिशा–निर्देशों का पालन अवश्य किया जाए। बच्चों को शाला पुस्तकालय, पंचायत पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय से पुस्तकें पढ़ने हेतु प्रेरित किया जाए।

(लोकेश कुमार जाटव)
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

पृ.क्र./राशिके/पापु/शै.गु./2020/2355

भोपाल, दिनांक 9/6/2020

प्रतिलिपि :–

1) निज सचिव, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
2) आयुक्त, लोकशिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3) निज सचिव, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन की ओर सूचनार्थ।
4) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिला की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5) संयुक्त संचालक, समस्त संभाग की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6) जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ।
7) सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, समस्त जिला की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ।
8) जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही विषयक।
9) प्राचार्य, डाइट/डी.आर.सी. जिला–संबंधित की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ आवश्यक कार्यवाही विषयक।
10) प्राचार्य, संकुल केन्द्र/जन शिक्षा केन्द्र, समस्त की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11) विकासखण्ड स्रोत समन्वयक, समस्त विकासखण्ड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12) आई.सी.टी. कक्ष पत्र एवं परिशिष्ट पोर्टल पर अपलोड करने विषयक।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

परिशिष्ट – '1'

रीडिंग शपथ

मैं (विद्यार्थी का नाम) .... प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं प्रतिदन अपनी पाठ्यपुस्तक से अथवा पुस्तकालय से कम से कम एक कहानी/कविता या अन्य कोई विधा जैसे–नाटक, एकांकी, निबन्ध आदि जरूर पढ़ूँगा। मैं पढ़ी गई सामग्री को पढ़ने के बाद उस पर चिंतन कर उसमें दिए गए सन्देश को अपने जीवन में पालन करूँगी/करूँगा।

पाठ्यपुस्तक की चयनित कहानी जिस पर क्विज़ होगी

क्र.	भाषा भारती कक्षा	चयनित कहानी का पाठ क्र.	चयनित कहानी का नाम
1	1	24	शेर साहब की पूँछ
2	2	5	बन्दर और दर्पण
3	3	5	धरपटक और मुँहपटक
4	4	16	दानी पेड़
5	5	5	ईदगाह
6	6	3	हार की जीत
7	7	15	छोटा जादूगर
8	8	12	याचक और दाता

नोट :– विद्यार्थी द्वारा अपनी पिछली कक्षा (सत्र 2019–20 में जिस कक्षा में अध्ययनरत था) की उपलब्ध पाठ्यपुस्तक से कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर व्हाट्सएप अथवा लिखित रूप से जिले को प्रस्तुत कर सकेगें।